

राजस्थान - सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/अध्ययन अवकाश/पीजी-2023/2024/ 79

दिनांक : 12/03/2024

-: आदेश :-

निम्न लिखित सेवारत चिकित्सक का उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का अध्ययन अवकाश एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है :-

एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर

क. सं.	चिकित्सक का नाम	जन्म तिथि	राज्य सेवा में प्रथम कार्यग्रहण तिथि	जिस विषय में पीजी कर रहे का नाम	अध्ययन अवकाश की अवधि
1	डॉ० सुरभि तंवर	16.12.1993	18.12.2020	रेडियोथैरेपी	24.10.23 से 23.10.26

राजकीय मेडिकल कॉलेज कोटा

क. सं.	चिकित्सक का नाम	जन्म तिथि	राज्य सेवा में प्रथम कार्यग्रहण तिथि	जिस विषय में पीजी कर रहे का नाम	अध्ययन अवकाश की अवधि
1	डॉ० अरविन्द पंसारी	21.08.1989	31.08.2018	सर्जरी	01.11.23 से 31.10.26

आरवीआरएस मेडिकल कॉलेज भीलवाडा

क. सं.	चिकित्सक का नाम	जन्म तिथि	राज्य सेवा में प्रथम कार्यग्रहण तिथि	जिस विषय में पीजी कर रहे का नाम	अध्ययन अवकाश की अवधि
1	डॉ० श्याम सिंह	08.12.1996	21.12.2020	डीएनबी (शिशु रोग)	03.11.23 से 02.11.25
2	डॉ० मुकेश कुमार तिवारी	15.09.1977	02.03.2015	डीएनबी (निश्चेतन)	02.11.23 से 01.11.25
3	डॉ० नवीन कुमार शर्मा	17.09.1988	18.12.2020	डीएनबी (निश्चेतन)	02.11.23 से 01.11.25

आरके राजकीय मेडिकल कॉलेज सीकर

क. सं.	चिकित्सक का नाम	जन्म तिथि	राज्य सेवा में प्रथम कार्यग्रहण तिथि	जिस विषय में पीजी कर रहे का नाम	अध्ययन अवकाश की अवधि
1	डॉ० राजेन्द्र कुमार	17.10.1987	02.03.2015	डीएनबी (नेत्र रोग)	22.12.23 से 21.12.25

राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय पाली

क. सं.	चिकित्सक का नाम	जन्म तिथि	राज्य सेवा में प्रथम कार्यग्रहण तिथि	जिस विषय में पीजी कर रहे का नाम	अध्ययन अवकाश की अवधि
1	डॉ० विक्रम चौधरी	01.12.1992	31.08.2018	डीएनबी (पल्मोनेरी मेडिसिन)	08.11.23 से 07.11.25
2	डॉ० सुमन विश्णोई	02.06.1995	21.12.2020 6076654	डीएनबी (स्त्री एवं प्रसूति रोग)	16.11.23 से 15.11.25

3	डॉ० गरिमा कुमावत	03.05.1992	22.12.2020	डीएनबी (पल्मोनेरी मेडिसिन)	04.11.23 से 03.11.25
---	------------------	------------	------------	-------------------------------	----------------------

उक्त आदेश के पूर्व में अध्ययन अवकाश का लाभ प्राप्त नहीं किये जाने की स्थिति में ही मान्य होगा एवं अग्रिम कार्यवाही से पूर्व सम्बन्धित महाविद्यालय अध्ययन अवकाश की सभी शर्तों की पालना सुनिश्चित कर लेवें।

उक्त आदेश राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 05.07.2022 के अनुसरण में जारी किये गए हैं।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर
दिनांक : 12/03/2024

क्रमांक : राजपत्रित/अध्ययन अवकाश/पीजी-2023/2024/ 79

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, मा० चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर
3. सम्बन्धित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
4. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
5. कार्यालय अधीक्षक एटीसी/डीपीसी सैल, राजपत्रित मुख्यालय।
6. प्रभारी सर्वर रूम को भेज कर लेख है कि आज ही विभाग की वैबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करावें।
7. रक्षित/निजी पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

RajKaj Ref
6076654

Document certified by RAVI PRAKASH
MATHUR <rpm272004@yahoo.co.in>

Digitally Signed by RAVI
PARKASH MATHUR
Designation: Director
Date :12-03-2024 05:10:57